UPMO010036622013

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद ।

पीठासीन अधिकारीः–(सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02401**

सत्र परीक्षण (पुराना)संख्या–233/2013

उत्तर प्रदेश राज्य **-------अभियोजन पक्ष ।**

बनाम

1. नजाकत अली पुत्र नन्हे उर्फ मसीत,
2. सुलेमान पुत्र नन्हे उर्फ मसीत,
3. अब्दुल हक पुत्र नजाकत अली,

निवासीगण–ग्राम चूहा नगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद ।

-------अभियुक्तगण ।

मुकदमा अपराध संख्या–265/2012
धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–भगतपुर, जिला– मुरादाबाद।

एवं

UPMO010038652013

सत्र परीक्षण (पुराना)संख्या–696/2013

उत्तर प्रदेश राज्य **-------अभियोजन पक्ष ।**

बनाम

जैनुल पुत्र नजाकत अली,
निवासी–ग्राम चूहा नगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद ।

-------अभियुक्त ।

मुकदमा अपराध संख्या–265/2012
धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता,
थाना–भगतपुर, जिला– मुरादाबाद।

–:<u>निर्णय</u>:–

(1)– मुकदमा अपराध संख्या–265/2012, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान व अब्दुल हक के विरूद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र "प्रदर्श क–17" व पृथक रूप से अभियुक्त जैनुल के विरुद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र "प्रदर्श क–18" न्यायालय में प्रेषित किये गये। उक्त आरोप पत्रों प्रदर्श क–17 व प्रदर्श क–18 पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान दिनांक 18.10.2012 व 02.07.2013 को लिये जाने के पश्चात् उक्त प्रकरण को सत्र न्यायालय में सुपुर्द किये जाने पर विचारण प्रारम्भ हुआ।

(2)– **मुकदमे का संक्षिप्त विवरण :–** प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अकरम ने इस आशय की तहरीर "प्रदर्श क–1" दी कि, प्रार्थी के पिता असलम, निवासी ग्राम चमरौआ खानपुर, थाना मूंढापाण्डे ने अपने गांव लोगों के साथ साझे में खालिक, निवासी मोहल्ला असालतपुरा, मुरादाबाद का बाग की बहार दो साल के लिए लिया है। आज दिनांक 13/14.07.2012 की रात्रि में समय करीब दो बजे, जब हम बाग में सो रहे थे, बदमाश आ गये। जैसे ही आहट हुई, मेरी आँख खुल गई और साजिद, फकरूद्दीन, नईम, गुलहसन, मौ0 जान, फईम, असलम, सद्दीक, निवासी चमरौआ खानपुर की आँखें खुल गयी। हम लोगों ने बदमाशों को ललकारा तो एक बदमाश ने साजिद पुत्र छोटे, जो हमारे गांव के साझेदार है, के पेट में (कोख) के पास गोली मारने की नीयत से तमन्चे से गोली मार दी। वह घायल होकर गिर पड़ा। हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी में चारों बदमाशों को अच्छी तरह से देखा है। सामने आने पर पहचान सकते हैं। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करें।

(3)– उपरोक्त तहरीर "प्रदर्श क–1" के आधार पर थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में दिनांक 14.07.2012 को समय 05.40 ए.एम. बजे, अपराध संख्या–265/2012, अंतर्गत धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी तथा इसका खुलासा जी0 डी0 कायमी "प्रदर्श क–9" में किया गया। मुकदमे की विवेचना प्रारम्भ की गई। दौराने विवेचना विवेचक द्वारा एफ 0 आई 0 आर 0 की नकल केस डायरी में किता की तथा गवाहों के बयान अंकित किये तथा दौराने विवेचना अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक व जैनुल का नाम प्रकाश में आया। विवेचक द्वारा अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र "प्रदर्श क–17" व जैनुल के विरुद्ध आरोप पत्र "प्रदर्श क–18" प्रेषित

किये गये।

(4)– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक व जैनुल को आहूत किया गया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रपत्रों की नकलें देने के उपरान्त उक्त मामला माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय व परीक्षणीय होने के कारण अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक का मुकदमा दिनांक 26.02.2013 को तथा अभियुक्त जैनुल का मुकदमा दिनांक 27.07.2013 को माननीय सत्र न्यायालय में परीक्षण हेतु सत्र उपार्पित किया गया, जिसके आधार पर सत्र परीक्षण संख्या–233/2013, राज्य बनाम नजाकत अली व दो अन्य व सत्र परीक्षण संख्या–696/2013, राज्य बनाम जैनुल, संस्थित हुए एवं जरिये अंतरण इस न्यायालय को परीक्षण हेतु प्राप्त हुए।

(5)– उभयपक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर मौजूद प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण नजाकत अली, सुलेमान व अब्दुल हक के विरूद्ध सत्र परीक्षण संख्या–233/2013 में दिनांक 01.04.2014 को धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त जैनुल के विरुद्ध सत्र परीक्षण संख्या–696/2013 में दिनांक 01.04.2014 को धारा–302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड के अन्तर्गत पृथक–पृथक आरोप तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–10, मुरादाबाद द्वारा विरचित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की याचना की। अतः मामला वास्ते साक्ष्य अभियोजन नियत हुआ।

(6)– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित उक्त आरोपों को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	अभियोजन साक्षी क्रमांक
1.	अकरम	पी0 डब्लू0–1
2.	सईद अहमद	पी0 डब्लू0–2
3.	साबिर	पी0 डब्लू0–3
4.	वाहिद	पी0 डब्लू0–4
5.	शमशाद	पी0 डब्लू0–5
6.	इद्रीश	पी0 डब्लू0–6
7.	छुट्टन	पी0 डब्लू0–7
8.	मकसूद	पी0 डब्लू0–8

9.	वाजिद	पी0 डब्लू0–9
10.	डॉ0 मुकुटलाल, चेस्ट फिजिशियन	पी0 डब्लू0–10
11.	डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता	पी0 डब्लू0–11
12.	रामपाल सिंह, उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–12
13.	ओमकार सिंह, निरीक्षक	पी0 डब्लू0–13
14.	अली हसन	पी0 डब्लू0–14
15.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक	पी0 डब्लू0–15
16.	साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक	पी0 डब्लू0–16
17.	हसनैन खां, सेवानिवृत्त	पी0 डब्लू0–17
18.	नरेश पाल सिंह राघव, सेवानिवृत्त एस.एच.ओ.	पी0 डब्लू0–18

(7)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण द्वारा जो प्रपत्र प्रदर्श के रूप में तथा जो माल मुकदमाती वस्तु प्रदर्श के रूप में साबित किये गये हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है–

क्र.सं.	साक्षी का नाम व संख्या, जिसने साबित किया है।	दस्तावेज का नाम	प्रदर्श संख्या
1.	अकरम, पी0 डब्लू0–1	तहरीर	प्रदर्श क–1
2.	सईद अहमद, पी0 डब्लू0–2	फर्द कब्जे में लेने टॉर्च प्रपत्र संख्या–5/46	प्रदर्श क–2
3.	साबिर, पी0 डब्लू0–3	फर्द बाबत तलाशी आला कत्ल तमन्चा प्रपत्र संख्या–5/32	प्रदर्श क–3
4.	शमशाद, पी0 डब्लू0–5	फर्द कब्जे में देने टॉर्च प्रपत्र संख्या–5/47	प्रदर्श क–4
5.	इद्रीश, पी0 डब्लू0–6	पंचायतनामा	प्रदर्श क–5
6.	छुट्टन, पी0 डब्लू0–7	फर्द मौ0 अकरम फर्द गुलहसन	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7
7.	डॉ0 मुकुटलाल, पी0 डब्लू0–10	मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या–5/53	प्रदर्श क–6
8.	डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, पी0 डब्लू0–11	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–7
9.	राम सिंह, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–12	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–8
10.	राम सिंह, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–12	नकल रपट	प्रदर्श क–9

11.	ओमकार सिंह, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–13	नक्शा नजरी आला कत्ल प्रपत्र संख्या–5/57	प्रदर्श क–10
12.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी.डब्लू0–15	नक्शा नजरी घटनास्थल प्रपत्र संख्या–5/56	प्रदर्श क–11
13.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी.डब्लू0–15	फर्द लेने कब्जे में मिट्टी सादा व खून की फर्द प्रपत्र संख्या–5/51	प्रदर्श क–12
14.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी.डब्लू0–15	फर्द लेने कब्जे में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व खून आलूदा व चारपाई के पास से एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर प्रपत्र संख्या–5/50	प्रदर्श क–13
15.	साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पी0 डब्लू0–16	नमूना मोहर	प्रदर्श क–14
16.	साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पी0 डब्लू0–16	फोटो नाश	प्रदर्श क–15
17.	साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक पी0 डब्लू0–16	पुलिस प्रपत्र	प्रदर्श क–16
18.	हसनैन खां, पी0 डब्लू0–17	आरोप पत्र संख्या–27/12	प्रदर्श क–17
19.	हसनैन खां, पी0 डब्लू0–17	आरोप पत्र विरुद्ध जुनैल	प्रदर्श क–18
20.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–15	सादा मिट्टी के डिब्बे को	वस्तु प्रदर्श–2
21.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–15	चारपाई के बांध के टुकड़ों के पुलिन्दे	वस्तु प्रदर्श–3
22.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–15	एक पुलिन्दा खोखा कारतूस (12) बोर	वस्तु प्रदर्श–4
23.	आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, पी0 डब्लू0–15	12 बोर के एक खोखा	वस्तु प्रदर्श–5

(8)– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 29.05.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने

घटना के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। पी0 डब्लू0–1 अकरम, पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद, पी0 डब्लू0–5 शमशाद, पी0 डब्लू0–6 इद्रीश, पी0 डब्लू0–7 छुट्टन, पी0 डब्लू0 –8 मकसूद, पी0 डब्लू0–9 वाजिद, पी0 डब्लू0–10 डॉ मुकुटलाल, पी0 डब्लू0–12 रामपाल सिंह, उपनिरीक्षक, पी0 डब्लू0–14 अली हसन, पी0 डब्लू0–16 साहब सिंह एवं सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक के बयानों के संबंध में कहा है कि "कुछ नहीं कहना है।" पी0 डब्लू0 –3 साबिर के बयान के संबंध में कहा है कि, "पुलिस द्वारा फर्जी कार्यवाही की गयी।" पी0 डब्लू0–4 वाहिद के बयान के सम्बन्ध में कहा कि, "फर्जी कार्य किया है।" पी0 डब्लू0–11 डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता के बयान के संबंध में पता नहीं होने का कथन किया है। पी0 डब्लू0–13 ओमकार सिंह, निरीक्षक के बयान के संबंध में कहा है कि, "मिथ्य विवेचना की है।" पी0 डब्लू0–15 आदित्य सुन्दर, निरीक्षक के बयान के संबंध में कहा कि, "मिथ्य कार्यवाही की है।" पी0 डब्लू0–17 हसनैन खां, सेवानिवृत्त व पी0 डब्लू0 –18 नरेश पाल सिंह, रिटायर्ड एस.एस.ओ. के बयान के संबंध में कहा है कि, "मिथ्या जाँच कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया है।" गवाहों की गवाही का कारण बताया गया है कि "रंजिशन गवाही दी, पुलिस ने गलत गवाही दी"। मुकदमा चलने का कारण रंजिशन बताया गया है तथा कथन किया गया है कि "हम निर्दोष हैं। हमने कोई अपराध नहीं किया है। हमें झूठा फंसाया गया है।" अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

(9)–विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा सम्पूर्ण पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

(10)– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों की विवेचना करने से पूर्व अभियोजन पक्ष की तरफ से परीक्षित साक्षियों की मुख्य परीक्षा में आये तथ्यों का विवरण दिया जाना उचित है:–

(11)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 अकरम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''मेरे पिता असलम ने हमारे गांव के लोगों के साथ साझे में खालीक, निवासी असालतपुरा, मुरादाबाद की बाग की बहार दो साल के लिए ली थी। दिनांक 13/14.07.2012 की रात्रि में करीब समय दो बजे, जब हम लोग बाग में सो रहे थे, बदमाश आ गये। आहट पर मेरी आंख खुल गयी और साजिद, फकरूद्दीन, नईम, गुलहसन, मौ0 जान, फईम, असलम व सद्दीक इन सब लोगों की आँखें खुल गयी थी। हम सब लोगों ने बदमाशों को ललकारा तो उन बदमाशों में साजिद पुत्र छोटे, जो हमारा साझीदार था, ने

गोली मार दी थी। वह घायल होकर गिर पड़ा। टॉर्च की रोशनी पर तहरीर दाखिल की थी। गवाह ने पत्रावली पर संलग्न तहरीर रिपोर्ट 4/2 को देखकर कहा कि यह तहरीर मैंने थाने पर दाखिल की थी जो मेरे हस्तलेख और हस्ताक्षरित में है, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मैंने डी.आई.जी./एस.एस.पी. महोदय मुरादाबाद को इस आशय का शपथ पत्र नहीं दिया था कि साजिद की हत्या नजाकत, उसके भाई सुलेमान व उसके भाई अब्दुल हक ने की है। मैंने दरोगा जी को मारने वालों में नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक तथा जैनुल का नाम नहीं बताया था और न ही साजिद की हत्या उपरोक्त मुल्जिमान ने की है और न मैंने उपरोक्त मुल्जिमान को घटनास्थल पर देखा। मैंने नजाकत को साजिद के गोली मारते हुए नहीं देखा। मैंने दरोगा जी को कोई टॉर्च नहीं दिखाई थी और न दी थी।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(12)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मृतक साजिद मेरा सगा भतीजा था, जिसका कत्ल आज से लगभग चार साल पहले हो गया था। हत्या किसने की, मुझे नहीं पता। मुल्जिम सुलेमान, नजाकत, जैनुल एवं अब्दुल हक ने साजिद की हत्या नहीं की। मेरे सामने नजाकत अली ने तमन्चे से साजिद अली के गोली नहीं मारी थी। घटना के समय मैं अपने घर पर सो रहा था। मुझसे पुलिस वालो ने कोई टार्च कब्जे में नहीं ली थी। पुलिस वालो ने मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। गवाह को पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या–5/46 फर्द बावत कब्जे लेने में टॉर्च दिखायी व पढ़कर सुनायी तो गवाह ने कहा कि यह फर्द मेरे सामने नहीं बनी है, परन्तु इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(13)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–3 साबिर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 12.08.2012 को मेरे सामने नजाकत की निशांदेही पर कोई तमन्चा पुलिस ने बरामद नहीं किया और न ही मेरे सामने नजाकत ने तमन्चे को मेरे सामने झाड़ी में छिपाना बताया। घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे थाने पर पुलिस वालो ने बुलवाया था तथा मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे तथा कुछ कागजों पर मेरा अंगूठा लगवा लिया था। गवाह को पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र संख्या–5/32 दिखाया व पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि यह प्रपत्र मेरे सामने नहीं बना था, केवल इस पर मेरा अंगूठा लगा है जो पुलिस वालों ने कोरे कागज पर लगवा लिया था। फर्द पर लगे अंगूठे पर प्रदर्श क–3 डाला गया।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(14)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–4 वाहिद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 12.08.2012 को मेरे सामने नजाकत की निशांदेही पर कोई तमन्चा पुलिस ने बरामद नहीं किया और न ही मेरे सामने नजाकत ने तमन्चे को मेरे सामने झाड़ी में छिपाना बताया। घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे थाने पर पुलिस वालों ने बुलवाया था तथा मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। गवाह को पत्रावली पर संलग्न प्रपत्र संख्या–5/32 दिखाई व पढ़कर सुनायी तो गवाह ने कहा कि यह प्रपत्र मेरे सामने नहीं बना था। केवल इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जो पुलिस वालों ने कोरे कागज पर लगवा लिये थे। फर्द पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस पर पूर्व से प्रदर्श क–3 पड़ा है।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(15)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–5 शमशाद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मेरे सामने पुलिस वालों ने कोई टॉर्च छुट्टन व शफी की टार्च कब्जे में नहीं ली। मेरे सामने कोई टॉर्च कब्जे में नहीं ली। पुलिस वालों ने कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। गवाह ने प्रपत्र संख्या–5/47 को देखकर कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(16)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–6 इद्रीश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मृतक साजिद मेरा चचेरा भाई था। मृतक साजिद अपने साझे वाले बाग में रात को सो रहा था तो किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। यह घटना दिनांक 13.07.2012 की रात्रि करीब दो बजे की है। साजिद की गम्भीर हालत होने के कारण उसे अच्छे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया था। जब हम उसे मेरठ ले जा रहे थे, तब हम थोड़े आगे निकलने के बाद ही साजिद की मृत्यु हो गयी थी तो हम उसे वापस मुरादाबाद ले आये थे। दरोगा जी को इत्तला कर दी थी। लगभग आधे घण्टे बाद दरोगा जी मोर्चरी पर आ गये थे। दरोगा जी ने लाश का पंचायतनामा तैयार किया था। शव को कब्जे में सील कर मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा तैयार करके दरोगा जी ने उस पर मेरे दस्तख्त के लिए भेज दिया था। पंचनामा तैयार करके दरोगा जी ने उस पर मेरे दस्तख्त कराये थे। गवाह को पत्रावली पर मौजूद पेपर संख्या–5/15 व 5/16 को देखकर कहा कि यह वही पंचायतनामा है, जिस पर मेरे दस्तख्त हैं, तस्दीक करता हूँ। पंचायतनामा पर प्रदर्श क–5 डाला गया।"

(17)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–7 छुट्टन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि

"मेरे सामने दरोगा जी ने अकरम, शमशाद अहमद, गुलहसन व सईद अहमद का टॉर्च कब्जे पुलिस में लिया था और अलग–अलग चारों की लिखा पढ़ी कर टॉर्चों को इन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया था। मौके पर फर्द पढ़कर सुनाई गयी थी और मेरा निशानी अंगूठा लगवाये थे। गवाह ने प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–4 पर अपना निशानी अंगूठा पहचाना और कहा कि यह वही फर्द है जो मौके पर तैयार की गयी थी। फर्द मौ0 अकरम, गुलहसन की फर्द पर अपना अंगूठा पहचाना और कहा कि यह वही फर्द है जो मौके पर तैयार की गयी थी, जिस पर प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाला गया।"

(18)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–8 मकसूद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 14.07.2012 को मृतक मौह0 साजिद का पंचायतनामा मेरी मौजूदगी में भरा गया था। दरोगा जी ने मुझे पंच नियुक्त किया था। मौके पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पंचायतनामा पत्रावली पर प्रदर्श क–5 है, जिसकी पुष्त पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मृतक साजिद गांव नाते से मेरा भाई लगता था। हम इसे घायल अवस्था में मुरादाबाद ले जा रहे थे तो साजिद ने मुल्जिमान के नाम नजाकत, सुलेमान, अब्दुल हक, जैनुल, निवासी चूहा नंगला के नाम नहीं बताये थे। पंचायत नामे को मैं तस्दीक करता हूँ।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(19)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–9 साजिद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 14.07.2012 को मृतक मौ0 साजिद का पंचायतनामा दरोगा जी ने मेरी मौजूदगी में भरा था। दरोगा जी ने मुझे पंच नियुक्त किया था। मुझे पंचायतनामा पढ़कर सुनाया था। सुनने के बाद मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मैं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ। पंचायतनामा पत्रावली पर प्रदर्श क–5 है। मृतक साजिद मेरा भाई था। जब मृतक को मुरादाबाद से घायल अवस्था में मेरठ ले जा रहे थे तो उसने मुल्जिमानों के नाम बताये थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(20)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–10 डॉ0 मुकुटलाल, चेस्ट फिजिशियन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 13/14.07.2012 को मैं जिला अस्पताल, मुरादाबाद पर चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मेरी ड्यूटी आपातकालीन में चिकित्साधिकारी पद पर थी। उस दिन साजिद पुत्र अली हसन उम्र करीब 17 साल, निवासी ग्राम चमरौआ, थाना मूंढापाण्डे को दिनांक 14.07.2012 समय 4.15 ए.एम. पर मेडिकल मुआयना किया था, जिसको कां0 390 बनवारी सिंह, थाना भगतपुर, जिला

मुरादाबाद लेकर आये थे, जिसके चेहरे के बांयी तरफ एक काला तिल का निशान था जो बांये आंख से 2.5 सेमी0 नीचे था, जिसके शरीर पर चोट इस प्रकार पायी गयीं की

1–Wound of entry– एक फटा घाव 1.5 सेमी0 X 1.5 सेमी0 जो सीने के दांहिने तरफ था जो 5 सेमी0 दांहिने निप्पल से नीचे था। घाव के किनारे अनियमित थे। अन्दर की ओर मुड़े हुए थे। जख्म के चारों तरफ कालिमा (Blacking) उपस्थित थी। घाव में ताजा ब्लीडिंग उपस्थित थी। इस घाव को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी थी। ड्यूरेशन फ्रेश थी। उपरोक्त चोटें आग्नेयास्त्र से आना सम्भव थी। पत्रावली पर मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या–5/53 के रू में मौजूद है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। तस्दीक करता हूँ। इस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।"

(21)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–11 डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 14.07.2012 को मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन मैं वरिष्ठ चिकित्साधिकारी पुलिस चिकित्सालय मुरादाबाद पर तैनात था। दिनांक 14.07.2012 को मृतक मौ0 साजिद पुत्र छोटे ठेकेदार उर्फ अली हसन, निवासी– चमरौआ, खानपुर, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद का शव एस.ओ., थाना भगतपुर, मुरादाबाद द्वारा सील बन्द कपड़े में लाया गया था। सील मिलान करने पर सही व दुरुस्त पायी गयी थी। दिनांक 14.07.2012 को समय 2.40 पी.एम. पर मैंने शव प्राप्त किया था तथा 4.50 पी.एम. पर शव विच्छेदन प्रारम्भ किया और 5.20 पी.एम. पर विच्छेदन पूरा किया था। विच्छेदन के दौरान फोटोग्राफी मौ0 यासीन पुत्र शौकत हुसैन खुशी फोटो स्टूडियो दौलत बाग, थाना नागफनी, मुरादाबाद द्वारा की गयी थी। मृतक की आयु लगभग 17 वर्ष थी, जिसकी पहचान कां0 2806 कपिल देव एवं कां0 2002 धर्मेन्द्र सिंह, थाना भगतपुर, मुरादाबाद द्वारा की गयी थी। शव की पहचान उसके परिजन रफीक मौहम्मद पुत्र शफीक अहमद एवं लईक अहमद पुत्र सईद अहमद (चचेरे भाई) निवासी उपरोक्त द्वारा की गयी थी। शव की ऊँचाई 161 सेमी0 छरहरा औसत कद काठी का था। मृत्यु पश्चात् अकड़न पूरे शरीर पर उपस्थित थी। शव के आंख व मुंह खुले हुए थे।

मृत्यु पूर्व चोटें–(1)एक गोलाकार धसा हुआ घाव जो कि 5 X3 सेमी0 की गोलाई में था। उसमें गहने रंग के कालर ऑफ एकेजन पाया गया था जो कि 2 X1.5 सेमी0 का थी। किनारियां फटी हुई थी। सिरे अन्दर धसे हुए थे जो कि दांहिनी तरफ छाती पर दांहिने निप्पल से 5 सेमी नीचे अन्दर की तरफ एवं दांहिने बगल से 10 सेमी0 नीचे था।

आन्तरिक परीक्षण–बहुत सारे विभिन्न माप के छोटे छर्रे जो कि 20 संख्या में थे। साथ में दो रवर की कैप एवं दो गत्ते भी थे जो कि दांहिनी छाती व फेफड़े से निकाले गये थे।

आन्तरिक परीक्षण–फेफड़े एवं झिल्लियां फटी हुई थी। छाती की गुहा में 500 एम.एल. बहता हुआ खून पाया गया था। दांहिने तरफ का हृदय रक्त से भरा हुआ था एवं बांये तरफ का खाली अमाश्य में 150 एम.एल. तरफ पदार्थ था। गुर्दे पीले पड़ गये थे। मेरा राय में मौहम्मद साजिद की मृत्यु एक तिहाई दिन पहले हुई होगी। मृत्यु का कारण शॉक एवं हेमरेज था जो कि मृत्यु पूर्व फायर आर्म्स चोटों की वजह से आई थी। मृत्यु का कारण उपरोक्त फायर आर्म्स से आई चोटें ही थी। मैं यह नहीं कह सकता कि यह चोटें स्वयं द्वारा बनायी गयी हो, किन्तु मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। मैंने पोस्टमार्टम पूरा करके समस्त कागजात मृतक के कपड़े पी.एम.आर. गन प्लेट्स, रबर केप व गत्ता सील लिफाफे में रखकर संबंधित कां0 पुलिस को उसी दिन दिनांक 14.07.2012 को सुपुर्द कर लिया था। पत्रावली पर कागज संख्या–5/54 ता 5/55 पी.एम.आर. पत्रावली पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। प्रमाणित करता हूँ जो मेरे द्वारा तैयार किया गया था। इस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।"

(22)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–12 रामपाल सिंह, उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 14.07.2012 को थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद पर बतौर प्रधान लेखक तैनात था तो अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम चमरौआ खानपुर, थाना मूंढापाण्डे, मुरादाबाद हाल बाग आम चूहा नंगला के द्वारा थाना पर दी गयी। सूचना बाबत अज्ञात चार बदमाशों द्वारा वादी के बाग के साझेदार साजिद पुत्र छोटे को समय 02.00 ए.एम. गोली मार देने के संबंध में दाखिल की, जिस पर मेरे द्वारा चिक संख्या–124/2012 किता कर मुकदमा अपराध संख्या–265/2012 धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता बनाम अज्ञात चार बदमाश पंजीकृत की गयी। मुकदमे का खुलासा नंबर 6 समय 5.40 पर दिनांक 14.07.2012 को रोजनामचा आम में किया गया, जिसकी तफ्तीश एस.ओ. द्वारा एस.आई. आदित्य सुन्दर को दी गयी थी। पत्रावली पर उपलब्ध एफ.आई.आर. व नकल चिक मेरे हस्तलेख में है। तस्दीक करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। नकल रपट पर प्रदर्श क–9 डाला गया।"

(23)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–13 ओमकार सिंह, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 20.07.12 को में थाना अध्यक्ष भगतपुर जनपद मुरादाबाद के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरे द्वारा थाना भगतपुर पर पंजीकृत मु0 अ 0 सं0–256/12 धारा–302 आई.पी.सी. की विवेचना सी.डी.–2 में ग्रहण कर पूर्व विवेचक द्वारा किता सी.डी. का अवलोकन किया गया। दिनांक 24.07.12 को सी.डी.–3 में बयानात गवाहान असलम एवं अय्यूब अंकित किये गये। दिनांक 19.07.12 को सी.डी.–4 में नकल मूल पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित की गयी। दिनांक 05.08.12 को सी.डी.–5 में

नकल प्रार्थना पत्र आले हसन व नकल शपथ पत्र अंकित किया गया। दिनांक 06.08.12 को सी.डी.–6 में बयान आले हसन अंकित किया गया। दिनांक 12.08.12 को सी.डी.–7 में अभियुक्तगण नजाकत, सुलेमान, अब्दुल हक मुताबिक विवरण सी.डी. की गिरफ्तारी व बयानात अंकित किये गये व नकल, फर्द बाबत तलाशी, आलाकत्ल व नक्शा नजरी, तलाशी स्थल तैयार की गयी। नक्शा–नजरी तलाशी स्थल वह नक्शा नजरी पत्रावली में कागज सं0–5/57 के रूप में संलग्न है। यह नक्शा नजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, में तस्दीक करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया तथा इस संबंध में फर्द बाबत तलाशी, आलाकत्ल तमंचा, मेरे द्वारा तैयार किया गया था, वह फर्द पत्रावली में कागज सं0–5/52 के रूप में संलग्न है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, मैं तस्दीक करता हूं। इस फर्द पर पूर्व में ही प्रदर्श क–3 डाला जा चुका है। दिनांक 23.08.12 को सी.डी.–8 में नकल प्रार्थना पत्र अलीहसन व शपथ पत्र 9 नईम पुत्र सईद, सईद पुत्र अब्दुल वहीद, अकरम पुत्र असलम, शमशाद पुत्र इब्लेहसन अंकित किये गये। दिनांक 24.08.12 को सी.डी.–9 में मजीद बयान वादी अकरम मय तस्दीक शपथ पत्र व बयानात नईम, सईद, शमशाद, हाजी शामिर, वाहिद मुताबिक विवरण पता सी.डी. अंकित किये गये व बयानात गवाहान बाबत तलाशी आलाकत्ल कां० सुधीर कुमार, कां0 नीतू कुमार, कां0 विशेष कुमार अंकित किये गये। इसके पश्चात् मुझ विवेचक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विवेचना मेरे पश्चातवर्ती विवेचक द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी।"

(24)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–14 अली हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूं और खेती किसानी करता हूं तथा अक्सर बीमार भी रहता हूं और वर्तमान में मैं कैंसर की बीमारी से पीड़ित हूं। उक्त मुकदमे की घटना लगभग 13 वर्ष पूर्व की है। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही में घटनास्थल पर मौजूद था और न ही मैंने अपनी आंखों से कोई घटना देखी हो। घटना कब घटित हुई, कहां घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही घटना के संबंध में पुलिस ने मुझ से कोई पूछताछ की थी और न ही दरोगा जी ने मेरा कोई बयान लिया था।" **इस स्तर पर अभियोजन पक्ष की याचना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

(25)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–15 आदित्य सुन्दर, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 14.07.12 को थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और मुझे मु0 अ0 सं0–265/2012 धारा–307 आई. पी.सी. बनाम अज्ञात चार बदमाश के संबंध में विवेचना ग्रहण करायी गयी थी और मैंने

विवेचना ग्रहण करने के उपरांत उपरोक्त दिनांक को ही सी.डी.–1 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादी व वादी की ही निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया था। वह नक्शा–नजरी पत्रावली में कागज सं0–5/56 के रूप में संलग्न है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, मैं तस्दीक करता हूं। नक्शा नजरी पर प्रदर्श क–11 डाला गया व बयान समाई साक्ष्य नजाकत, खुर्शीद, फखरुद्दीन, गुलहसन, वादी अकरम के अंकित किये। इस संबंध में मेरे द्वारा फर्द लेने कब्जे में मिट्टी सादा व खून आलूदा की फर्द भी तैयार की गयी थी। वह फर्द पत्रावली में कागज सं0–5/51 के रूप में संलग्न है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, तस्दीक करता हूं। फर्द पर प्रदर्श क–12 डाला गया और मेरे द्वारा इस संबंध में एक ओर फर्द लेने कब्जे में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व खून आलूदा व चारपाई के पास से एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर की फर्द बनायी गयी थी। वह फर्द पत्रावली में कागज सं0–5/50 के रूप में संलग्न है, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, मैं तस्दीक करता हूं। इस फर्द पर प्रदर्श क–13 डाला गया तथा इस साक्षी ने माल न्यायालय समक्ष खोलने पर सादा मिट्टी के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श–2, चारपाई के बांध के टुकड़ों के पुलिन्दे पर वस्तु प्रदर्श–3, एक पुलिन्दा खोखा कारतूस (12) बोर पर वस्तु प्रदर्श–4 व 12 बोर के एक खोखा को वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में साबित किया है।"

(26)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–16 साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 14.07.2012 को थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद में बतौर उपनिरीक्षक में पद पर तैनात था। मैंने उक्त दिनांक को ही मृतक मौ0 साजिद उम्र 17 वर्ष पुत्र छोटे ठेकेदार उर्फ अली हसन अंसारी के शव का पंचायतनामा मेरे द्वारा मौके पर ही तैयार व भरा गया था। वह पंचायतनामा आज पत्रावली में मेरे सामने मौजूद है और पत्रावली पर कागज संख्या–5/05 व 5/6 के रूप में संलग्न है। पंचायतनामा मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं तस्दीक करता हूँ। पंचायतनामे पर पूर्व में ही प्रदर्श क–5 डाला जा चुका है तथा इस संबंध में मेरे द्वारा नमूना मोहर फोट नाश व पुलिस प्रपत्र मेरे द्वारा तैयार किये गये थे। यह सभी प्रपत्र मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। तस्दीक करता हूँ। नमूना मोहर पर क्रमशः प्रदर्श क–14, फोटो नाश पर प्रदर्श क–15, पुलिस प्रपत्र पर प्रदर्श क–16 डाला गया।"

(27)– **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–17 हसनैन खां, सेवानिवृत्त** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 27–08–2012 को मैं एस.आई.एस प्रभारी मुरादाबाद नियुक्त था। मेरे द्वारा मु.अ.स. 265/2012 धारा 302 भा.दं.सं., थाना भगतपुर, जनपद मुरादाबाद

की विवेचना पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय के आदेश सं० पत्रांक एस.टी डी.आई.जी/सी प्रा 721/12 के आदेश पर मेरे द्वारा ग्रहण की गयी थी। पूर्व विवेचक द्वारा किता की गयी केस डायरी का क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के कार्यालय से प्राप्त कर अवलोकन किया गया। दिनांक 27–08–2012 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 11 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें आदेश डी.आई.जी. महोदय व एस.एस.पी, मुरादाबाद महोदय का विवरण अंकित किया। दिनांक 30–08–2012 को मेरे द्वारा सी.डी. का पर्चा नम्बर–12 किता किया गया, जिसमें पूर्व किता पर्चों का अवलोकन का विवरण अंकित किया गया है। दिनांक 02–09–2012 को सी.डी का पर्चा नम्बर 13 मेरे द्वारा किता किया गया, जिसमें गवाहन के बयान अंकित किये गये थे, जिसमें गवाह मौ० अकरम, शमशाद, सईद अहमद, गुलहसन, शफीक अहमद आदि के बयान लेकर केस डायरी में उनके बयान अंकित किये गये। दिनांक 03–09–2012 को मेरे द्वारा सी.डी. का पर्चा नम्बर 14 किता किया गया, जिसमें मृतक के पिता अली हसन को घटनास्थल पर ले जाने का विवरण अंकित किया व पंचायतनामे के गवाह इदरीश, इले हसन, मकसूद, जाकिर हुसैन के बयान लिये, जिसमें उन्होंने मृतक का पंचनामा अपने सामने भरे जाने का विवरण अंकित किया। दिनांक 07–09–2012 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 15 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत, अब्दुल हक का रिमाण्ड स्वीकृत होने का विवरण अंकित किया। उसी दिनांक 07–09–2012 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 15 ए किला किया, जिसमें अभियुक्तगण के रिमाण्ड 07–09–2012 से दिनांक 21–09–2012 तक की स्वीकृती प्राप्त करने का विवरण अंकित किया है। सी.डी. का पर्चा नम्बर 16 दिनांक 09–09–2012 को किता किया। मृतक के पिता को लेकर घटनास्थल आम के बाग में लेकर गया था। उसके सम्बंध मे मेरे द्वारा पूछताछ की गयी व अभियुक्त जैनुल की गिरफ्तारी के सम्बंध में की गयी कार्यवाही का विवरण अंकित है। दिनांक 24–09–2012 को सी.डी. का पर्चा नम्बर 17 किता किया गया, जिसमें माल परीक्षण विधिविज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजे जाने का विवरण अंकित किया गया है। तमामी विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाते हुये मुल्जिमान सुलेमान, नजाकत व अब्दुल हक के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–27 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.स. थाना भगतपुर अपराध सं0 265/2012 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जो कागज सं0 3/1 के रूप में संलग्न है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, आरोप पत्र पर प्रर्दश क–17 डाला गया। अभियुक्त जैनुल के विरूद्ध विवेचना जारी थी, जिसमें विवेचना के दौरान दिनांक 22–10–2012 को एस.सी.डी. 1 किता किया, जिसमें अभियुक्त जैनुल कि गिरफ्तारी के सम्बंध में दबिश दी गयी, लेकिन अभियुक्त नहीं मिला का विवरण अंकित किया गया। दिनांक 30–10–2012 को एस.सी.डी. 2 किता किया गया, जिसमें न्यायालय से

अभियुक्त जैनुल के विरूद्ध आदेश एन.बी.डब्लू. व 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की रिपोर्ट दिया गया। एस.सी.डी. 3 दिनांक 15–11–2012 को किता किया गया, जिसमें न्यायालय से एन.बी.डब्लू. व 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की पैरवी की गयी। एस.सी.डी. नम्बर 04 दिनांक 21–11–2012 को किता किया गया, जिसमें न्यायालय से एन.बी.डब्लू. व 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्राप्त किया गया। एस.सी.डी. नम्बर 05 दिनांक 26–11–2012 को किता किया गया, जिसमें वांरट के तामिला का प्रयास व न्यायालय से 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्राप्त करने की रिपोर्ट दी गयी । एस.सी.डी. नम्बर 06 दिनांक 14–12–2012 को किता गया। न्यायलय से 83 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्राप्त करने की पैरवी का विवरण अंकित किया गया। एस.सी.डी. नम्बर 07 दिनांक 22–12–2012 को किता किया गया, जिसमें 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता का आदेश अभियुक्त जैनुल का प्राप्त हुआ। तामिला हेतु थानाध्यक्ष भगतपुर को भेजे जाने का विवरण अंकित किया गया। एस.सी.डी. नम्बर 08 दिनांक 24–12–2012 को किता किया गया जिसमे 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बंध की कार्यवाही की गयी, जिसमें यह कहा गया की अभियुक्त जैनुल फरार है उसके पास चल व अचल सम्पत्ति नहीं है, जिसको कुर्क किया जा सके का विवरण अंकित किया है, विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्त जैनुल के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 27 ए अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.स. थाना भगतपुर अपराध सं0 265/2012 माननीय न्यायालय में फरारी में प्रेषित किया गया आरोप पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है तसदीक करता हूँ जिस पर प्रर्दश क–18 डाला गया।"

(28)– अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–18 नरेश पाल सिंह राघव, रिटायर्ड एस.एच.ओ. ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "मैं दिनांक 30–12–2012 को थाना ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में एस०एच०ओ० के पद पर तैनात था। उक्त मुकदमें की विवेचना थाना भगतपुर से स्थानान्तरण होकर मुझे प्राप्त हुई थी और मैंने दिनांक 30–12–2012 को ही एस०सी०डी० 09 का पर्चा किता किया था तथा पूर्व में किता किये गये पूर्व विवेचकों द्वारा किता किये गये पर्चो का अवलोकन किया और दिनांक 04–01–2013 को मेरे द्वारा एस.सी.डी–10 का पर्चा किता किया गया था और दिनांक 14–01–2013 को मेरे द्वारा एस.सी.डी.–11 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें मैंने मजीद बयान वादी अकरम व मजीद बयान अली हसन व मजीद बयान सईद व मजीद बयान गुले हसन, मजीद बयान फकरूद्दीन, मजीद बयान नूर हसन व मजीद बयान इबले हसन के अंकित किये थे और दिनांक 22–02–2013 को एस.सी.डी. 12 का पर्चा किता किया गया था और दिनांक 26–04–2013 को एस.सी.डी–13 का पर्चा किता किया गया था, जिसमें धारा–83 सी.

आर.पी.सी. की कार्यवाही किये बिने आरोप पत्र दाखिल किये जाने हेतु एतराज किया गया तथा सी0 आर 0 पी0 सी0 कार्यवाही के उपरान्त ही आरोप पत्र दाखिल किया जाना न्यायोचित बताया गया और दिनांक 31–05–2013 को एस 0 सी0 डी0 14 का पर्चा किता किया गया, जिसमें अभियुक्त जैनुल के विरूद्ध धारा–83 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कुर्की आदेश जारी किया गया और दिनांक 04–06–2013 को एस०सी०डी० 15 का पर्चा किता किया गया और दिनांक 09–06–2013 को एस०सी०डी० 16 का पर्चा किता किया गया, जिसमें अभियुक्त जैनुल के बयान अंकित किये और जैनुल के विरूद्ध पूर्व प्रेषित आरोप पत्र पर नियमित प्रसंज्ञान लेने की कृपा करने की याचना की गयी और मेरे द्वारा विवेचना समाप्त की गयी।"

(29)– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी)द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.07.2012 को रात्रि 02.00 बजे ग्राम चूहा नंगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में वादी मुकदमा के पुत्र साजिद की गोली मारकर घायल कर हत्या कारित की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन कथानक के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होते हैं तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए।

(30)– बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि, अभियोजन की ओर से जो साक्षीगण परीक्षित कराये गए हैं, उनके साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। अभियुक्तगण द्वारा किसी को गोली से नहीं मारा गया है। समस्त घटना झूठी दर्शायी गयी है। अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

(31)– प्रस्तुत मामले में अब यह देखा जाना है कि, क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

(32)– इस वाद के निर्णय हेतु, निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु का निस्तारण, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, किया जाना हैः–

I. क्या, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 14.07.2012 को रात्रि 02.00 बजे ग्राम चूहा नंगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में सामान्य आशय के अग्रसरण में साजिद की गोली मारकर घायल कर हत्या कारित की है अथवा नहीं ?

(33)– प्रकरण में वादी मुकदमा अकरम द्वारा थाना भगतपुर पर इस आशय की तहरीर दी कि दिनांक 13/14.07.2012 की रात्रि में समय करीब दो बजे, जब वे बाग में सो रहे थे, बदमाश आये तथा साजिद, फकरूद्दीन, नईम, गुलहसन, मौ0 जान, फईम, असलम, सद्दीक ने बदमाशों को ललकारा तो एक बदमाश ने साजिद पुत्र छोटे, जो हमारे गांव के साझेदार है, के पेट में (कोख) के पास गोली मारने की नीयत से तमन्चे से गोली मार दी। वह घायल होकर गिर पड़ा। हम लोगों ने टॉर्च की रोशनी में चारों बदमाशों को अच्छी तरह से देखा है। इस साक्षी को अभियोजन द्वारा पी0 डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित करते हुए कथन किया है कि उसने डी.आई.जी./एस.एस.पी. महोदय मुरादाबाद को इस आशय का शपथ पत्र नहीं दिया था कि साजिद की हत्या नजाकत, उसके भाई सुलेमान व उसके भाई अब्दुल हक ने की है। उसने दरोगा जी को मारने वालों में नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक तथा जैनुल का नाम नहीं बताया था और न ही साजिद की हत्या उपरोक्त मुल्जिमान ने की है और न मैंने उपरोक्त मुल्जिमान को घटनास्थल पर देखा। मैंने नजाकत को साजिद के गोली मारते हुए नहीं देखा। मैंने दरोगा जी को कोई टॉर्च नहीं दिखाई थी और न दी थी तथा प्रति–परीक्षा में कथन किया है कि गवाह को धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण बयान दिनांकित 02.09.2012 को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया, पता नहीं कैसे लिख दिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

यह साक्षी प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा है, जिसकी लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होकर विवेचना हुई, परन्तु इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसने दरोगा जी को मारने वालो में नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक तथा जैनुल का नाम नहीं बताया था और न ही साजिद की हत्या उपरोक्त मुल्जिमान ने की है और न उसने उपरोक्त मुल्जिमान को घटनास्थल पर देखा। उसने नजाकत को साजिद के गोली मारते हुए नहीं देखा। उसने दरोगा जी को कोई टॉर्च नहीं दिखाई थी। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा विवेचक को दिये गये धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान दिये जाने से भी स्पष्ट इन्कार किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान से अभियोजन कहानी एवं साक्षी की सत्यनिष्ठा संदेहास्पद प्रतीत होती है। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन

कथानक को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

(34)– अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक साजिद मेरा सगा भतीजा था। हत्या किसने की, मुझे नहीं पता। अभियुक्त सुलेमान, नजाकत, जैनुल एवं अब्दुल हक ने साजिद की हत्या नहीं की। मेरे सामने नजाकत अली ने तमन्चे से साजिद अली के गोली नहीं मारी थी। घटना के समय मैं अपने घर पर सो रहा था। मुझसे पुलिस वालो ने कोई टार्च कब्जे में नहीं ली थी तथा प्रति–परीक्षा में कथन किया है कि घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह बयान मैंने नहीं दिया, पता नहीं दरोगा जी ने कैसे लिख लिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने प्रकरण के अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत, जैनुल एवं अब्दुल हक द्वारा साजिद की हत्या किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया गया है तथा इस साक्षी ने विवेचक के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी इन्कार किया गया है। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

(35)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–3 साबिर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे थाने पर पुलिस वालो ने बुलवाया था तथा मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। गवाह को उसका धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, पता नहीं दरोगा जी ने कैसे लिख लिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना के संबंध में कोई जानकारी न होने का कथन किया है तथा इस साक्षी ने विवेचक के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी इन्कार किया गया है। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

(36)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–4 वाहिद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे थाने पर पुलिस वालों ने बुलवाया था तथा मुझसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बायन नहीं लिया था। गवाह को उसका धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता का सम्पूर्ण बयान पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, पता नहीं दरोगा जी ने कैसे लिख लिया। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इस साक्षी ने प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा कारित घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया गया है तथा इस साक्षी ने विवेचक के समक्ष दिये गये बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी इन्कार किया गया है। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

(37)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–5 शमशाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे सामने पुलिस वालों ने कोई टॉर्च छुट्टन व शफी की टार्च कब्जे में नहीं ली। पुलिस वालो ने कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथान को कोई बल नहीं मिलता है।

(38)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–6 इद्रीश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक साजिद मेरा चचेरा भाई था। मृतक साजिद अपने साझे वाले बाग में रात को सो रहा था तो किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। घटना दिनांक 13.07.2012 की रात्रि करीब दो बजे की है। साजिद की गम्भीर हालत होने के कारण उसे अच्छे इलाज के लिए मेरठ रेफर कर दिया था। जब हम उसे मेरठ ले जा रहे थे, तब हम थोड़े आगे निकलने के बाद ही साजिद की मृत्यु हो गयी थी तो हम उसे वापस मुरादाबाद ले आये थे। इस साक्षी ने पंचायतनामा को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मृतक चोट लगने के बाद मृत्यु तक एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। चोट लगने के बाद मृतक मूर्छित हो गया था और मूर्छित अवस्था में मर गया था।

.यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मार देने का कथन किया गया है, परन्तु इस साक्षी द्वारा

अपनी मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किये जाने का कथन नहीं किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी की मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिससे कि अभियोजन कथानक को बल प्रदान हो सके।

(39)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–7 छुट्टन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे सामने दरोगा जी ने अकरम, शमशाद अहमद, गुलहसन व सईद अहमद की टॉर्च को कब्जे पुलिस में लिया था और अलग–अलग चारों की लिखा पढ़ी कर टॉर्चो को इन्हीं की सुपुर्दगी में दे दिया था। मौके पर फर्द पढ़कर सुनाई गयी थी और मेरा निशानी अंगूठा लगवाये थे। गवाह ने प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–4 पर अपना निशानी अंगूठा पहचाना और कहा कि यह वही फर्द है जो मौके पर तैयार की गयी थी। फर्द मौ0 अकरम, गुलहसन की फर्द को इस साक्षी ने प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे सामने प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 की लिखा पढ़ी नहीं की थी। अंगूठे गांव में बैठकर लगाये थे। मैंने एक टॉर्च देखी थी, वह टॉर्च आज मेरे सामने नहीं है।

इस साक्षी द्वारा टॉर्च बरामदगी के समय स्वयं को तथा पी0 डब्लू0–1 अकरम, पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद व पी0 डब्लू0–5 शमशाद की टॉर्च को कब्जे में लेने तथा उनकी फर्द तैयार करते समय उपस्थित होना बताया है, जबकि इस साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मेरे सामने प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 की लिखा पढ़ी नहीं की थी। अंगूठे गांव में बैठकर लगाये थे। यह साक्षी पी0 डब्लू0–1 अकरम, पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद व पी0 डब्लू0–5 शमशाद की टार्च की फर्द को स्वयं के सामने तैयार किये जाने का कथन करता है, जबकि पी0 डब्लू0–1 अकरम ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि मैंने दरोगा जी को कोई टॉर्च नहीं दिखायी थी और न दी थी। पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार है कि "गवाह को पत्रावली में संलग्न प्रपत्र संख्या05/46 फर्द बावत कब्जे लेने में टॉर्च दिखायी व पढ़कर सुनाई तो गवाह ने कहा कि यह फर्द मेरे सामने नहीं बनी है व पी0 डब्लू0–5 शमशाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वीकार किया है कि "मेरे सामने कोई टॉर्च कब्जे में नहीं ली। पुलिस वालो ने कोरे कागज पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे।" जिससे स्पष्ट है कि इस साक्षी तथा पी0 डब्लू0–1 अकरम, पी0 डब्लू0–2 सईद अहमद व पी0 डब्लू0–5 शमशाद के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

(40)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–8 मकसूद ने अपनी मुख्य

परीक्षा में कथन किया है कि मृतक साजिद गांव नाते से मेरा भाई लगता था। हम इसे घायल अवस्था में मुरादाबाद ले जा रहे थे तो साजिद ने मुल्जिमान के नाम नजाकत, सुलेमान, अब्दुल हक, जैनुल, निवासी चूहा नंगला के नाम नहीं बताये थे तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैंने दरोगा जी को अपने बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि साजिद को घायल अवस्था में मुरादाबाद से मेरठ ले जाते समय मैं साथ था और साजिद बोल रहा था और अपने आप से मुल्जिमानों का नाम नजाकत, सुलेमान, अब्दुल हक व जैनुल बता रहा था। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

इस साक्षी ने, जब मृतक को घायल अवस्था में मुरादाबाद से मेरठ ले जा रहे थे, स्वयं को उसके साथ उपस्थित होना बताया है तथा प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि मैंने दरोगा जी को अपने बयान में यह बात नहीं बतायी थी कि साजिद को घायल अवस्था में मुरादाबाद से मेरठ ले जाते समय मैं साथ था और साजिद बोल रहा था और अपने आप से मुल्जिमानों का नाम नजाकत, सुलेमान, अब्दुल हक व जैनुल बता रहा था। जिससे उसके मुख्य परीक्षा तथा प्रति परीक्षा के बयान में गंभीर विरोधभास है। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा में उसके बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में पूछे जाने पर, कथन किया है कि "गवाह को 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान पढ़कर सुनाये गये तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था।" इस साक्षी द्वारा अपने धारा–161 दं.प्र.सं. के बयान विवेचक को दिये जाने से भी इन्कार किया गया है, जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(41)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–9 साजिद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतक मौ0 साजिद का पंचायतनामा दरोगा जी ने मेरी मौजूदगी में भरा था। दरोगा जी ने मुझे पंच नियुक्त किया था। मुझे पंचायतनामा पढ़कर सुनाया था। सुनने के बाद मेरे हस्ताक्षर कराये थे। मैं अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करता हूँ। पंचायतनामा पत्रावली पर प्रदर्श क–5 है। मृतक साजिद मेरा भाई था। जब मृतक को मुरादाबाद से घायल अवस्था में मेरठ ले जा रहे थे तो उसने मुल्जिमान के नाम बताये थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है तथा प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि मृतक मेरे सामने नहीं बोला था और मरने तक नहीं बोला था। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

यह साक्षी मृतक के पंचनामे का साक्षी है, परन्तु इस साक्षी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जब मृतक को मुरादाबाद से घायल अवस्था में मेरठ ले जा रहे थे तो उसने मुल्जिमान के नाम बताये थे या नहीं, मुझे मालूम नहीं है तथा प्रति परीक्षा में यह स्वीकार

किया है कि मृतक मेरे सामने नहीं बोला था और मरने तक नहीं बोला था। जिससे स्पष्ट है कि मरने वाले ने इस साक्षी को घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि प्रकरण के अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित की गयी हो।

(42)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–10 डॉ0 मुकुटलाल, चेस्ट फिजिशियन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि साजिद पुत्र अली हसन उम्र करीब 17 साल, निवासी ग्राम चमरौआ, थाना मूंढापाण्डे का दिनांक 14.07.2012 समय 4.15 ए.एम. पर मेडिकल मुआयना किया था। इस साक्षी ने मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या–5/53 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना बताते हुए प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया है, परन्तु प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मैंने मजरूब की पूरक मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं की थी और न ही मुझे पत्रावली में मिली थी।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–10 डॉ0 मुकुटलाल, चेस्ट फिजिशियन, जिसके द्वारा मजरूब/मृतक का मेडिकल मुआयना किया गया है तथा प्रति परीक्षा में पूरक मेडिकल रिपोर्ट तैयार किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया है। साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में जो भी कथन किये गये है, उससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(43)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–11 डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.07.2012 को मेरी पोस्टमार्टम ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस पर थी। उस दिन मृतक मौ0 साजिद पुत्र छोटे ठेकेदार उर्फ अली हसन, निवासी चमरौआ, खानपुर, थाना मूंढापाण्डे, जिला मुरादाबाद का शव एस.ओ., थाना भगतपुर, मुरादाबाद द्वारा सील बन्द कपड़े में लाया गया था। दिनांक 14.07.2012 को समय 4.50 पी.एम. पर शव विच्छेदन प्रारम्भ किया और 5.20 पी.एम. पर विच्छेदन पूरा किया था। इस साक्षी द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम स्वयं के द्वारा किये जाने तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार करने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–11 डॉ0 रविन्द्र प्रताप मिश्रा, वरिष्ठ परामर्शदाता के द्वारा मृतक साजिद के शव का पोस्टमार्टम किया गया है। इस साक्षी द्वारा मृतक के शव के किये गये पोस्टमार्टम सम्बन्धी कार्यवाही का समर्थन करते हुये

पोस्टमार्टम की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है तथा पोस्ट मार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया है। उक्त के अतिरिक्त साक्षी के द्वारा अपनी जिरह में जो भी कथन किये गये है, उससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(44)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–12 रामपाल सिंह, उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में वादी मुकदमा अकरम के द्वारा थाना पर दी गयी सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या–265/2012, धारा–307 भारतीय दण्ड संहिता बनाम अज्ञात चार के विरुद्ध पंजीकृत किये जाने का समर्थन करते हुए एफ.आई.आर. को प्रदर्श क–8 व नकल रपट को प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

(45)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–13 ओमकार सिंह, निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में मु0 अ 0 सं0–256/12, धारा–302 आई.पी.सी. की विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए नकल, फर्द बाबत तलाशी, आलाकत्ल व नक्शा नजरी, तलाशी स्थल तैयार करने तथा नक्शा–नजरी तलाशी स्थल को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया है। यह साक्षी भी एक औपचारिक साक्षी है।

(46)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–14 अली हसन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही में घटनास्थल पर मौजूद था और न ही मैंने अपनी आंखों से कोई घटना देखी हो। घटना कब घटित हुई, कहां घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे कोई पूछताछ की थी और न ही दरोगा जी ने मेरा कोई बयान लिया था तथा प्रति परीक्षा में कथन किया है कि मुझे गांव वालो ने बाद में बताया था कि बाग में बदमाशो ने साजिद के गोली मार दी है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था कि वह कौन बदमाश थे और किसने गोली मारी थी। गवाह को धारा–161 दं.प्र.सं. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया। दरोगा जी ने कैसे लिख लिया, मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

उक्त साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि यह साक्षी अनुश्रूत साक्षी है, घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी ने भी अपने साक्ष्य में घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी न होना बताया है। इस साक्षी द्वारा विवेचक को दिये गये बयान धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता से

भी स्पष्ट इन्कार किया गया है जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है।

(47)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–15 आदित्य सुन्दर, निरीक्षक, यह साक्षी प्रकरण का विवेचक रहा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में मु0 अ 0 सं0– 265/2012, धारा–307 आई.पी.सी. बनाम अज्ञात चार की विवेचना करने तथा वादी की ही निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार करने तथा उक्त नक्शा नजरी को प्रदर्श क–11 के रूप में साबित करने का कथन किया है। इस साक्षी ने आगे अपनी मुख्य परीक्षा में फर्द लेने कब्जे में मिट्टी सादा व खून आलूदा की फर्द को प्रदर्श क–12, एक ओर फर्द लेने कब्जे में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर व खून आलूदा व चारपाई के पास से एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर की फर्द को प्रदर्श क–13, सादा मिट्टी के डिब्बे को वस्तु प्रदर्श–2, चारपाई के बांध के टुकड़ों के पुलिन्दे को वस्तु प्रदर्श–3, एक पुलिन्दा खोखा कारतूस (12) बोर को वस्तु प्रदर्श–4 व 12 बोर के एक खोखा को वस्तु प्रदर्श–5 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

(48)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–16 साहब सिंह, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्वयं के द्वारा मृतक के शव का पंचायतनामा तैयार करने तथा उसके द्वारा नमूना मोहर, फोट नाश व पुलिस प्रपत्र तैयार करने का कथन किया गया है। इस साक्षी ने नमूना मोहर को प्रदर्श क–14, फोटो नाश को प्रदर्श क–15, पुलिस प्रपत्र को प्रदर्श क–16 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है।

(49)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–17 हसनैन खां, सेवानिवृत्त, यह साक्षी भी मुकदमे का विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में मु.अ.स. 265/2012, धारा 302 भा.दं.सं. की विवेचात्मक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत व अब्दुल हक के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–27 अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.स. न्यायालय में प्रेषित कर आरोप पत्र को प्रर्दश क–17 तथा अभियुक्त जैनुल के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 27 ए ,अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.स. फरारी में प्रेषित कर, आरोप पत्र को प्रर्दश क–18, के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी भी एक औपचारिक साक्षी है।

(50)– अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0–18 नरेश पाल सिंह राघव, रिटायर्ड एस.एच.ओ., यह साक्षी जो कि प्रकरण की विवेचना का द्वितीय विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुकदमें की विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए विवेचना समाप्त करने का कथन किया गया है। यह साक्षी एक औपचारिक साक्षी है।

(51)– उपरोक्त वर्णित साक्षीगण पी.डब्लू–12, 13, 15, 16, 17 व 18 प्रस्तुत प्रकरण के चिक किता करने एवं विवेचक हैं, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के माध्यम से पुलिस प्रपत्रों को अपने लेख व हस्ताक्षर में साबित किया है। साक्षीगण मात्र औपचारिक साक्षी हैं जैसा कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक से इन्कार करते हुये अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता से इन्कार किया है। फलस्वरूप इन साक्षीगण के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण की दोष सिद्धि नहीं की जा सकती।

(52)– जैसा कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू–1 ता 5 तथा 8, 9 व 14 पक्षद्रोही हो गये हैं तथा उनके द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया गया है कि अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत, जैनुल एवं अब्दुल हक ने साजिद की गोली मारकर घायल कर हत्या कारित नहीं की। वादी मुकदमा ने प्रदर्श क–1 तहरीर के तथ्यों से इन्कार किया है और उसने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान विवेचक को नहीं देने का कथन किया है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त घटना कारित नहीं की गयी है। साक्षियों के द्वारा अभियोजन कथानक के विपरीत कथन किये गये हैं।

(53)– उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में घटनास्थल पर साजिद, फकरूद्दीन(मृतक), नईम, गुलहसन(मृतक), मौ0 जान, फईम, असलम, सद्दीक, निवासी चमरौआ खानपुर को उपस्थित होना बताया गया है। जिनमें से फकरूद्दीन व गुलहसन की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। असलम द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दण्ड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट कथन किया गया है कि गोली कैसे लगी थी, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बाकी अन्य व्यक्तियों को आरोप पत्र में साक्षी नहीं बनाया गया है।

(54)– अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष दिनांक 14.07.2012 को रात्रि 02.00 बजे, स्थान ग्राम चूहा नंगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में सामान्य आशय के अग्रसरण में नजाकत अली, सुलेमान, अब्दुल हक व जैनुल द्वारा साजिद की गोली मारकर घायल कर हत्या कारित करने के तथ्य को सन्देह से परे साबित कर पाने में असफल रहा है।

(55)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत, अब्दुल हक व जैनुल के विरुद्ध धारा–302 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपित आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण सुलेमान, नजाकत, अब्दुल हक व जैनुल

सन्देह का लाभ पाते हुए उक्त आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण(पुराना) संख्या–233/2013, मुकदमा अपराध संख्या–265/2012, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्तगण नजाकत अली पुत्र नन्हे उर्फ मसीत, सुलेमान पुत्र नन्हे उर्फ मसीत एवं अब्दुल हक पुत्र नजाकत अली, निवासीगण–ग्राम चूहा नगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोष मुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण(पुराना) संख्या–696/2013, मुकदमा अपराध संख्या–265/2012, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद में अभियुक्त जैनुल पुत्र नजाकत अली, निवासी–ग्राम चूहा नगला, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा 302 सपठित धारा–34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामें निरस्त करते हुये उनके प्रतिभूगणों को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का अनुपालन अन्दर सप्ताह करना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण(पुराना) संख्या–696/2013, राज्य बनाम जैनुल की पत्रावली में रखी जाये।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 18.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद ।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 18.06.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–3, मुरादाबाद ।